कार्यालय, नगर निगम, फिरोजाबाद

पत्रांकः 4621 / कर विभाग / 2015–16 दिनांकः 16/ 2 / 2016

प्रेस विज्ञप्ति

आवश्यक सार्वजनिक सूचना

फिरोजाबाद नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में गृहकर / जलकर वसूली को प्रभावी ढंग से वसूल किये जाने एवं सम्पत्तियों के नामान्त्रण हेतु निगम हित में निम्नलिखित नियम लागू किये जाते हैं।

प्रस्ताव सं0–1 शासनादेश के अनुरूप नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू एवं वसूली किये जाने हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(क) के तहत बकाया देय धनराशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रभावी होगी।

प्रस्ताव सं0–2 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(ख) के तहत कारपेट ऐरिया और क्षेत्रफल का विवरण भरकर देने के उपरान्त नगर निगम द्वारा जॉच किये जाने पर विवरण तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्योंकि यथा स्थित भवन के कार्पेट ऐरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छुपाया गया है तो निगम व्यतिक्रमी पर ऐसी रीति से, जो निमित विहित की जाय, एक हजार रूपये से अनधिक की शास्ति (जुर्माना) निर्धारित टैक्स के अतिरिक्त होगा।

प्रस्ताव सं0–3 वसूली के दृष्टिकोण को व्यवहारिक मानते हुये प्रथम छमाई के प्रथम चार माह (01 अप्रैल से 31 जुलाई तक) 10 प्रतिशत एवं प्रथम छमाई के अन्तिम दो माह (01 अगस्त से 30 सितम्बर तक) में 05 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान लागू होगा।

प्रस्ताव सं0–4 सम्पत्तियों के नामान्त्रण में पारदर्शता एवं निगम हित के दृष्टिगत निम्नलिखित शुल्क भवन स्वामी को देय होगा –

विवरण	नामान्त्रण शुल्क	विज्ञापन शुल्क
वारिसान / विरासतन	500	200
10 लाख रू0 से कम स्टाम्प पर	500	200
10 लाख रू0 से 20 लाख रू0 तक	1000	200
20 लाख रू0 से 30 लाख रू0 तक	2000	200
30 लाख रू0 से अधिक के स्टाम्प पर	3000	200

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त जन से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं। कोई भी आपत्तिकर्ता किसी भी कार्य दिवस को विभाग में आकर अथवा नगर निगम के वेबसाइट www.firozabadnagarnigam.com पर उपविधि का अवलोकन कर प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव विज्ञापन विभाग में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम फिरो0

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम फिरो0

नगर आयुक्त
नगर निगम फिरो0

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :– सम्पादक दैनिक अमर उजाला, हिन्दुस्तान .... को इस आशय के साथ कि अपने अंक पत्र में कम से कम स्पेस में एक दिन प्रकाशन कर तीन प्रतियों में बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करें।

2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम फिरोजाबाद।

Hindustan
Gaurav

Press Not